

अति-आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं,
2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक-एफ.3(78)पो/SAG/ICDS/2018/151736-152072 जयपुर, दिनांक 24/08/2018

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएं,
समस्त।

विषय :- किशोरी बालिकाओं के लिए योजना ब योजनान्तर्गत नवीन बेस लाइन सर्वे करने बाबत।

संदर्भ:- विभागीय पत्र क्रमांक 136870-137206 दिनांक 26.07.2018।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा राज्य में किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (SAG) योजनान्तर्गत 11-14 वर्ष की स्कूल नही जाने वाली बालिकाओं के सर्वांगीण विकास हेतु पोषणीय एवं गैर-पोषणीय गतिविधियों से लाभान्वित किए जाने हेतु नवीन बेस लाइन सर्वे करने हेतु विभाग द्वारा निर्देशित किया गया था। किन्तु आप द्वारा नवीन बेस लाइन सर्वे की रिपोर्ट विभाग में प्रस्तुत नही की है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि योजनान्तर्गत लाभार्थियों का डाटा एवं मासिक प्रगति रिपोर्ट लॉगिन एवं पासवर्ड आर.आर.एस.-आईसीडीएस का उपयोग कर राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के पोर्टल <http://sag-rrs.nic.in> पर आवश्यक रूप से फिड करावें। साथ ही आपके द्वारा कराए गए नवीन बेस लाइन सर्वे की रिपोर्ट adn.wcd@rajasthan.gov.in पर तीन दिवस में आवश्यक रूप से प्रेषित करावें।


निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर